

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 14.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-43/2024 धारा 363 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अखिलेश पुत्र बड़ेलाल नि0 हांसा थाना कदौरा जनपद जालौन को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अजमेरी पुत्र अनीश मुच्छड निवासी ग्राम बारा थाना अकबरपुर का0दे0 के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 168/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय सिंह पुत्र बीरबहादुर सिंह नि0 ग्राम गहलो थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायाज 25 लीटर कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 128/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ गुड्डू उम्र 32 वर्ष पुत्र रामऔतार निवासी दयालताला थाना बरौर का0दे0 के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 32/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन दीक्षित पुत्र अरुन कुमार दीक्षित नि0 AWS 30/3 गंगापुर कालोनी कानपुर नगर थाना नौबस्ता कानपुर नगर वर्तमान पता वार्ड नं0 43 लोहियानगर कस्बा रसूलाबाद का0दे0 के कब्जे से 17 पऊआ देशी शराब मसाला जानेमन ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 148/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त विशाल राठौर पुत्र राजेश राठौर निवासी वार्ड नं0 2 गाँधीनगर रसूलाबाद कस्बा रसूलाबाद का0दे0 उपरोक्त के कब्जे से 28 पऊआ देशी शराब

जानेमन ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 149/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जुन नाथ उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री अमरीश नाथ निवासी ग्राम नहरीबरी जोगीडेरा थाना शिवली कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज के बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त देवीप्रसाद पुत्र रामभरोसे उम्र करीब 61 वर्ष निवासी ग्राम नहोली थाना गजनेर कानपुर देहात के कब्जे से 30 अदद नाजायज देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 83/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यम पुत्र रामबाबू निवासी मल्हानपुरवा थाना रूरा कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 10 लीटर देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 130/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति तथा थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।